हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–I, शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2013

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना :–**

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–I, जिला शिमला के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2013 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान दिनांक 01.04.2013 से 19.01.2013 तक श्रीमती अंजौरी कपूर, अधिशासी अभियन्ता और दिनांक 20.01.2013 से वर्तमान तक श्री डी0आर0 गाँन्धी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादन किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–I शिमला, के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	(₹) लाखों में
1	स्टाफ अग्रिम का समायोजन न करना	4 (क)	3.97
2	विविध अग्रिम का समायोजन न करना	4(ख)(1)	95.01
3	विविध अग्रिम राशि सेवा निवृत कर्मचारी श्री जे0के0 कपूर (ए0ई) से वसूली हेतु शेष	4 (ख)(2)	1.10
4	जल प्रभार की बकाया राशि वसूली योग्य शेष	4 (ग)	2.05
5	विभिन्न आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि शेष	4 (घ)	22.24
6	भण्डार मदों को दार्धकाल से प्रयोग में न लाना	6	10.97
7	₹6030.56 घन मीटर कटिंग कार्य से पत्थरों की प्राप्ति शून्य लिया जाने के कारण प्राधिकरण को वित्तीय हानि	11	16.52

8	वीप होल्स की कार्य मद में संविदाकार को अनुचित भुगतान	13	0.32
9	ब्रिक वर्क में संविदाकार को अनुचित भुगतान	14	0.48
10	नियमों की अवहेलना कर ठेकेदारों को Secured Advance का अनियमित भुगतान	15	9.64

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने पर नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''क'' में दर्शाई गई है। वर्ष 1990–91 से 2011–12 तक निर्माण मण्डल से सम्बन्धित 255 से अधिक अंकेक्षण आपत्तियॉं निपटारे हेतु शेष है। अंकेक्षण में पाया गया कि दीर्घकाल से लम्बित चली आ रही अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारें हेतु कोई भी प्रयास न करना अत्यन्त ही आपत्तिजनक है तथा अंकेक्षण के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं करता उपरोक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए यह मामला प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ ठोस कार्रवाई किये जाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है। निपटारे हेतु शेष बकाया पैरों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	**वर्ष**	**शेष पैरों की सं0**
1	4/1995 से 3/1996 तक	3
2	4/1996 से 3/1997 तक	1
3	4/1998 से 3/1999 तक	3
4	4/2000 से 3/2001 तक	4
5	4/2001 से 3/2002 तक	5
6	4/2002 से 3/2003 तक	1
7	4/2003 से 3/2004 तक	5
8	4/2004 से 3/2005 तक	5
9	4/2005 से 3/2006 तक	5
10	4/2006 से 3/2007 तक	6
11	4/2007 से 3/2008 तक	7
12	4/2008 से 3/2009 तक	11
13	4/2009 से 3/2010 तक	13
14	4/2010 से 3/2011 तक	9
15	4/2011 से 3/2012 तक	12
पूर्व नगर विकास प्राधिकरण में मण्डल–1 को वान्छित कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित पैरों की स्थिति		
1	4/1990 से 3/1991 तक	3
2	4/1991 से 3/1992 तक	12

3	4/1992 से 3/1993 तक	7
4	4/1993 से 3/1994 तक	24
5	4/1994 से 3/1995 तक	10
6	4/1995 से 3/1996 तक	14
7	4/1996 से 3/1997 तक	28
8	4/1997 से 3/1998 तक	36
9	4/1998 से 3/1999 तक	16
10	4/1999 से 15.1.2001 तक	15

भाग – 2

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश शिमला निर्माण मण्डल–1 के लेखों अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013 तक का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है सर्वश्री अशोक सूद, अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 19.11.2013 से 31.12.2013 तक श्री बसंत सिंह कवंर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–09 के पर्यवेक्षण में शिमला में किया गया। मास 03/2013 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशासी अभियन्ता, आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–1, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है, किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

वर्ष 2012–13 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला–02 को पृथक से सूचित किया जायेगा।

4 (क) स्टाफ अग्रिम की राशि ₹397035 समायोजन हेतु शेष :–

स्टाफ अग्रिम लेखा की जॉच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2013 को ₹397035/– समायोजन हेतु शेष थी। जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' में संलग्न किया गया है। स्टाफ अग्रिम विवरण की जॉच में पाया गया कि अधिकतर

अग्रिम सहायक अभियन्ताओं, एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं से सम्बन्धित था। अतः अग्रिम के समायोजन हेतु शीध्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख)(1) विविध अग्रिम ₹9501346/— दिनांक 31.03.2013 को समायोजन हेतु शेषः—

विविध अग्रिम से सम्बन्धित विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल–1 के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2013 को विभिन्न विभागों/फमों/संविदाकारों से ₹9501346/— की राशि वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ख–1" पर संलग्न किया गया है। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकत्तर राशियाँ अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित पडी हुई है परन्तु निर्माण मण्डल द्वारा इनके समायोजन हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे है यद्यपि अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–2 यह गम्भीर अनियमितता प्रकाश में लाई जा रही है परन्तु अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निपटारे हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है यह प्रकरण प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(2) विविध अग्रिम ₹110344/— अनेक वर्षों से समायोजन के लिए लम्बितः—

विविध अग्रिम विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि ₹110344/— की राशि श्री जे0के0 कपूर ए0ई0 (रिटा) जो की एच0पी0पी0डब्लयू0डी0 से हिमुडा निर्माण मण्डल–1 में प्रतिनियुक्ति पर आए थे, से पिछले कई वर्षों से समायोजन के लिए लम्बित है। इस राशि के समायोजन के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1/2013 दिनांक 27.11.2013 द्वारा सूचना माँगी गई थी। लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना निर्माण मण्डल–1 द्वारा प्रदान नहीं की गई। उक्त अग्रिम राशि का किसी सेवानिवृत कर्मचारी से सेवानिवृति के बाद भी अग्रिम समायोजित न होना एक गम्भीर आपत्ति है और साथ ही यह हिमुडा निर्माण मण्डल–1 की कार्यप्रणाली को भी दर्शाता है की निर्माण मण्डल के अधिकारी अग्रिमों के समायोजन को लेकर गम्भीर नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीध्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(ग) दिनांक 31.03.2013 तक ₹2.05 लाख जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेष :—

हिमुडा निर्माण मण्डल–1 के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.03.2013 तक ₹205817.62 की राशि जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जायें।

क्रम संख्या	आवासीय बस्ती का नाम	जल प्रभार की दिनांक 31.3.13
1	आवास बस्ती संजौली फेस–1 व 2	11911.62
2	आवास बस्ती संजौली फेस–3	193906
	कुल	**₹205817.62**

(घ) दिनांक 31.03.2013 तक ₹22.24 लाख रख रखाव प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली हेतु शेषः–

हिमुडा निर्माण मण्डल–1 के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से दिनांक 31.3.2013 तक ₹2224896/– की राशि रख रखाव प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु अपेक्षित उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाऐं।

क्रम संख्या	आवासीय बस्ती का नाम	रख रखाव प्रभार की दिनांक 31.03.2013 तक शेष राशि
1	आवास बस्ती संजौली फेस–1 व 2	22365
2	आवास बस्ती संजौली फेस–3	386492
3	आवास बस्ती रोहड़ू	1816039
	कुल	**₹2224896**

5 निर्माण मण्डल के लेखा में कैश सैटलमैन्ट सस्पंस (CSSA) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹1185458.15 अन्य निर्माण मण्डलों के साथ निपटारे हेतु शेषः–

निर्माण मण्डल के CSSA लेखा शीर्षक की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2013 को इस लेखा शीर्षक के डेबिट में ₹377683/– और क्रेडिट में ₹807775.15 की राशि शेष थी। यह राशियाँ हिमुडा के अन्य निर्माण मण्डलों के साथ समायोजन हेतु दिनांक 31.03.2013 तक शेष थी। जाँच में यह भी पाया गया कि कई निर्माण मण्डलों के सन्दर्भ में यह राशि वर्ष 2007–08 से समायोजन के लिए लम्बित थी। इस बारे में वर्षवार विवरण निम्न दिया गया है। हिमुडा निर्माण मण्डल–1 द्वारा कैश सैटलमैन्ट सस्पंस (CSSA) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत डेबिट में ₹377683/– की राशि और क्रेडिट में ₹807775.15 की राशि दिनांक 31.03.2013 तक समायोजन न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता, साथ ही अंकेक्षण की और से

निर्माण मण्डल अधिकारियों को यह सुझाव दिया जाता है कि कैश सैटलमैन्ट सस्पंस (CSSA) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई गई राशियों का शीध्र समायोजन नियमानुसार किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जाए।

निर्माण मण्डल का नाम	Year					
	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
Division-II Kasumpati, Shimla	Cr. 101575	Cr. 49029	Cr. 969046	Cr. 365492.00	Cr. 291267.00	Cr. 291267.00
HIMUDA (Elect.) Divn	Cr. 119778.11	Cr. 119778.11	Cr. 119778.11	Cr. 119778.11	Cr. 119778.11	Cr. 119778.11
HIMUDA Divn Parwanoo	Dr. 25.76	Dr. 25.76	Dr. 25.76	Dr. 9912.76	Dr. 9912.76	Cr. 370796.24
HIMUDA Divn Dharamshala	Cr. 25933.80	Cr. 25933.80	Cr. 25933.80	Cr. 25933.80	Cr. 25933.80	Cr. 25933.80
HIMUDA Divn Mandi	Dr. 113548.87	Dr. 113548.88	Dr. 113548.89	Dr. 245489.87	Dr. 377683	Cr. 377683.00
Total Debit	113574.63	113574.64	113574.65	255402.63	387595.76	377683.00
Total Credit	247286.91	194740.91	1114757.91	511203.91	436978.91	807775.15

6 ₹10.97 लाख की भण्डार मदों का विगत कई वर्षों से उपयोग न करनाः–

स्टॉक लेखा व खाता बही में दिनांक 31.03.2013 को पाये गए अन्तशेष की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.13 को ₹3379923/– का स्टॉक शेष था। हिमुडा निर्माण मण्डल–1 द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्माण सामग्री विवरण अनुसार ₹1097236.66 की सामग्री जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है। विगत कई वर्षों से शेष दर्शाई जा रही है। अनेक वर्षों से यह निर्माण सामग्री का उपयोग न होने से इसकी वास्तविक उपयोगिता भी समाप्त हो चुकी होगी परन्तु वास्तविक सत्यापन करते समय इसका कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। अतः अनुपयोगी निर्माण सामग्री को नियमानुसार निपटारा किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

7 ₹9.48 करोड़ के वर्ष में किये गये निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु स्थापना के रूप में ₹6.78 करोड़ का व्यय किया जाना तुलना में प्रशासनिक प्रभार की मात्र ₹11873309/– की राशि का प्राप्त होनाः–

निर्माण मण्डल के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में वर्ष के दौरान किए गए निर्माण कार्यों के सम्बन्धन में मण्डल द्वारा प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर व्यय का प्रतिशत 571.33**%** था और यह प्रतिशत वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है

जैसा के निम्न सारणी से ज्ञात होता है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निर्माण मण्डल	**वर्ष 2012–13 के दौरान राशि (₹)**	**वर्ष 2011–1 के दौरान राशि (₹)**
निर्माण मण्डल–1 द्वारा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय	94834160	75800000
निर्माण मण्डल–1 द्वारा स्थापना पर किया गया व्यय	67836005	23600000
निर्माण मण्डल–1 द्वारा प्राप्त किया गया प्रशासनिक प्रभार	11873309	9000000
वर्ष 2012–13 के दौरान निर्माण मण्डल–1 द्वारा प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में स्थापना पर किया गया व्यय	571.33%	262.22%

8 ₹9.71 लाख की राशि का संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति जमा खातों में डेबिट रूप में पाया जाना:–

संविदाकरों की प्रतिभूति जमा खाता बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2013 को विभिन्न संविदाकारों के व्यक्तिगत खातों में ₹971461/– की धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि का अन्तशेष डेबिट रूप में पाया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर दिया गया है। संविदाकारों की प्रतिभूति खाता में अन्तशेष का डेबिट होना यह दर्शाता है कि जितनी राशि संविदाकारो से धरोहर/प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई उससे अधिक राशि का भुगतान संविदाकार को कर दिया गया। संविदाकार को जमा प्रतिभूति से अधिक भुगतान एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन की जाए और ₹971461/– राशि के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

9 विश्राम गृह शिमला (बीसीएस) के सन्दर्भ में आय की तुलना में अत्यधिक व्यय:–

विश्राम गृह शिमला (बीसीएस) की आय व व्यय से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि विश्राम गृह पर उससे प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय किया गया था। वर्ष 2012–13 के दौरान विश्राम गृह से प्राप्त आय और किए गए व्यय का केवल 25.82% थी। जैसा कि निम्न सारणी से ज्ञात होता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। साथ ही अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि विश्राम गृह में ठहरने की दरों को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सामान किया जाए। जिससे व्यय की तुलना में आय में बढ़ौतरी हो सके।

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	विश्राम गृह पर किए गए व्यय की तुलना में आय का प्रतिशत
2011—12	35575	337342	10.54%
2012—13	69950	270900	25.82%

10. बैंक समाधान विवरणः—

निर्माण मण्डल—1 शिमला—09 के दिनांक 31.03.2013 को बैंक समाधान विवरण का पूर्ण। ब्यौरा **परिशिष्ट "च"** पर दिया गया है। बैंक समाधान विवरण का अवलोकन करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

1 UCO Bankk निगम बिहार, शिमला—02

(क) ₹6882.84 दिनांक 31.03.2013 का क्रेडिट न दिया जाना

चैक संख्या 595036 दिनांक 30.07.1986 3842.55

चैक संख्या 406004 दिनांक 22.02.1989 3040.29

6882.84

उपरोक्त दोनों चैक यूको बैंक निगम बिहार में वर्ष 1986 और 1989 में जमा करवाए गए थे परन्तु आज तक बैंक द्वारा उक्त दोनों चैकों की राशि को निर्माण मण्डल के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है। इतनी पुरानी अवधि के चैकों को बैंक द्वारा किन कारणों से मण्डल के खातों में जमा नहीं करवाया गया इस तथ्य की कोई जानकारी मण्डल स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। इन दोनों चैकों की राशि जमा न होने के बारे में आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होना और न ही इस बारे में कोई छानबीन करना अपने आप में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार एक चैक जारी करने की तिथि से 3 माह के लिए भुगतान हेतु मान्य होता है। इन चैकों के कालातीत होने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्म से ₹6882.84 की राशि को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास न करना मण्डल अधिकारियों के लापरवाही को प्रदर्शित करता है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु आज तक निर्माण मण्डल अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः यह मामला पुनः मण्डल अधिकारियों के समक्ष आवश्यक एवं उचित अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है साथ ही इस लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

(ख) बैंक द्वारा चैक में वर्णित राशि से ₹324/– का संविदाकार को अधिक भुगतानः–

निर्माण मण्डल द्वारा विभिन्न संविदाकारों को उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के बदले जारी किए गए भुगतान के चैक की राशि और यूको बैंक द्वारा उनके बदले में किए गए भुगतान की राशि की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में बैंक द्वारा संविदाकारों और अन्य को चैक की राशि से ₹324/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस अधिक भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

Vr. No.	Date/Cheque No.	Total Amount as per Cheque	Total Amount debited by the bank against cheque	Excess payment made to the Contractor	Name of Contractor
65	18.04.2012/020209	181539	181555	16	Sh. Dhrij Kumar
13	03.05.2012/020221	496231	496235	4	Sh. Vijay Kumar
58	10.01.2013/020180	335587	335621	34	Sh. Devinder Kumar
62	10.01.2013/020182	1000000	1000060	60	Sh. Liaq Ram
80	14.01.2013/020191	251278	251312	34	
9	01.02.2013/020195	1000000	1000056	56	Amount transferred from UCO Bank to Axix Bank
30	04.02.2013/020200	639016	639076	60	Sh. Rajeev Chauhan
96	22.02.2013/888332	2021556	2021616	60	M/S Him Engineer & Consultants
			योग	**324**	

2 स्टेट बैंक ऑफ इण्डियाः–

(क) बैंक द्वारा निर्माण मण्डल के खाते को ₹288/– की राशि से बैंक चार्जिज शीर्षक के अन्तर्गत कम किया गये और इस राशि को रोकड़ वही में दिनांक 31.03.2013 तक रिकार्ड नहीं किया गया था और न ही इस बारे में बैंक से कोई छानबीन की गई की यह बैंक चार्जिज

किसी सुविधा के लिए बैंक द्वारा चार्ज किए गए थे। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और भविष्य में बेंक द्वारा चार्ज के रूप में किए गए भुगतान को रोकड़ वही में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3 पंजाब नैशनल बैंक कुसुम्पटी शिमला—09

(क) बैंक द्वारा 104 की राशि माह 04/2012, 05/2012 और 06/2012 के दौरान निर्माण मण्डल के खाते से आई0एस0ओ0 (ISO) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कम की गई थी। इस राशि को रोकड़ वही में दिनांक 31.03.2013 तक लेखाकिंत नहीं किया गया था और न ही इस बारे में बैंक से कोई छानबीन की गई की यह बैंक चार्जिज किसी सुविधा के लिए बैंक द्वारा चार्ज किए गए थे। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और भविष्य में बैंक द्वारा चार्ज किए गए आई0एस0ओ0 (ISO) चार्जिस को रोकड़ वही में लेखाकिंत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4 पंजाब नैशनल बैंक, दी माल शिमला—01

(क) बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज ₹3384/— की राशि को रोकड़ वही में दिनांक 31.03.2013 तक न लिया जानाः—

पंजाब नैशनल बैंक, दी माल शिमला—01 की बैंक समाधान विवरण की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 01.03.2012 से 31.08.2012 तक ₹1689 और अवधि 01.09.2012 से 31.03.2013 तक ₹1695/— की राशि बैंक द्वारा निर्माण मण्डल के बैंक खाते में अर्जित ब्याज हेतु जमा की गई थी परन्तु निर्माण मण्डल की रोकड़ वही में इस सम्बन्ध में कोई लेखांकन नहीं किया गया था। अतः अर्जित ब्याज को रोकड़ वही में लेखांकन न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही भविष्य में बैंक द्वारा प्रदान किए गए अर्जित ब्याज को रोकड़ वही में लेखाकिंत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. कटिंग इन अर्थ वर्क के कार्य में से पत्थरों की प्राप्ति शून्य दर्शाकर निर्माण मण्डल को ₹1655102/— लाख की हानिः—

निम्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद "कटिंग इन अर्थ वर्क" कार्य मद को किए जाने पर कोई भी पत्थर की मात्रा की प्राप्ति कार्य स्थल से हुई नहीं दर्शाई गई है। पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई कार्य किए जाने के उपरान्त भी कोई भी पत्थरों की मात्रा प्राप्त न होना अपने आप में न्यायोचित एवं तर्क संगत प्रतीत नहीं होता यदि डी0एन0आई0टी0 में डाली गई कार्य मद को ध्यान में रखते हुये निष्पादित खुदाई के कार्य "कटिंग इन अर्थ वर्क" में न्यूनतम 10% मात्रा पत्थरों के रूप में प्राप्त होती तो अंकेक्षण हेतु चयनित माह में जाँच किए गए सभी निर्माण कार्यों में निष्पादित कुल 60305.60 घन मीटर खुदाई के कार्य से न्यूनतम 10% की दर से 6030.56 घन मीटर पत्थर की वसूली संविदाकारों के निर्माण बिलों से की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई। इस

प्रकार न्यूनतम 10% की दर से 6030.56 घन मीटर पत्थर की वसूली न करके इन सभी संविदाकारों को अनुचित लाभ दिया गया। अतः खुदाई के कार्य "कटिंग इन अर्थ वर्क" से न्यूनतम 10% की दर से 6030.56 घन मीटर पत्थर की कुल वसूली ₹1655101.62 की राशि की जिसका विवरण निम्न दिया गया है की वसूली को संविदाकार से न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹1655101.62 की राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाये। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

"कटिंग इन अर्थ वर्क" से न्यूनतम 10% की दर से 6030.56 घन मीटर की कुल वसूली ₹1655101.62 की राशि का विवरणः–

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0	मप पुस्तिका सं0/पृ0 सं0	चलित बिल सं0	कटिंग इन अर्थ वर्क की चलित बिल भुगतान की गई मात्रा (घन मी0)	न्यूनतम 10% की दर से पत्थर की मात्रा (घन मी0)	दर जिससे प्राप्त पत्थर की वसूली संविदाकार के निर्माण बिल से की जानी चाहिए थी	कुल राशि जिससे प्राप्त पत्थर की वसूली संविदाकार के निर्माण बिल से की जानी चाहिए थी	टिप्पणी
1	C/O Veterinary Hospital at Cheog.	11 of 2012-13	1672/1, P.No. 84	2nd Running Bill	170.02	17.00	404.46	6876.63	Rate of recovery of stone derived=Ordinary quarried stone rate= 350 per cum as per HPSR 2009+ Overall contractor"s Premium @ 15.56%
2	C/O SFS at Theog	36 of 2009-10	1590/08 ,P.No. 79	12th Running Bill	28602.46	2860.25	253.59	725336.93	Rate of recovery of stone derived=Ordinary quarried stone rate=175 per cum as per HPSR 1999+Overall contractor"s Premium @ 44.91%
3	C/O PSFS at Sanjauli PH-III	8 of 2008-09	1590/08 P.No. 30	13th Running Bill	28677.9	2867.79	281.40	806996.11	Rate of recovery of stone derived= Ordinary quarried stone rate=175 per cum as per HPSR 1999+Overall contractor"s Premium @60.80%
4	C/O Indoor Stadium at Rohroo	1 of 2011-12	1718/11 P.No. 69	5th Running Bill	2855.22	285.52	405.90	115891.95	Rate of recovery of stone derived=Ordinary quarried stone rate=350 per cum as per HPSR 2009+Overall Contractor;s Premium, @ 15.97 %
					60305.60	**6030.56**		**1655101.62**	

12	निमार्ण कार्य का नाम	C/O Self Financing Scheme at Theog
	संविदाकार का नाम	Sh. Liaq Ram Chauhan
	अनुबन्ध संख्या	36 of 2009-10
	चलत बिल संख्या	12th Running Bill
	Absract of Cost MB	Page No. 79 to 85 of 1669/10
	Record MB	Page No. 79 to 82 of 1671/10

वाऊचर संख्या 137 दिनांक 30.03.2013 राशि ₹1782402/–

(1) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹3430/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के 12th चलित बिल की कार्य मद संख्या 1 "कटिंग इन अर्थ वर्क" माप पुस्तिका संख्या 1671/10 पृष्ठ संख्या 80 से 82 की जाँच करने पर पाया गया कि गलत गणना करने के कारण संविदाकार को 34.30 घन मी0 दर ₹100/–प्रति घन मी0 से कुल ₹3430/– की राशि का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान की गई मात्रा का विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम/संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

अनुबन्ध सं0	माप पुस्तिका सं0/पृ0सं0		गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जोकी जानी चाहिए थी	अधिक भुगतान की गई मात्रा	दर प्रति घन मी0	कुल अधिक भुगतान
1	1671/10, 81	RD 35M	MA-4.90+22.08/2=13.49m2 Qty.=13.49x5.00=67.45m3				
		RD 40M	MA=5.41+9.80/2=7.61m2 Qty=7.61x5.00=38.05m3	MA=5.41+4.92/2=5.15m2 Qty=5.15x5.00=25.75m3	12.30m3	100	1230
		RD 45M	MA=6.07+9.03/2=7.55m2 Qty=7.55x5.00=37.75m3	MA=5.41+6.07/2=5.74m2 Qty=5.74x5.00=28.7m3	9.05m3	100	905
		RD 50M	MA=5.97+8.68/2=7.33m2 Qty=7.33x5.00=36.65m3	MA=5.97+6.07/2=6.02m2 Qty=6.02x5.00=30.1m3	6.55m3	100	655
		RD 55M	MA=3.85+8.53/2=6.19m2 Qty=6.19x5.00=30.95m3	MA=5.97+3.85/2=4.91m2 Qty=4.91x5.00=24.55M3	6.40m3	100	640
			Total		34.30m3	100	3430

13. वीप होल्स की कार्य मद का अलग भुगतान करने से आर0आर0 मैसनरी की मात्रा के लिए संविदाकार को ₹32780/– का अधिक भुगतानः–

निम्न निर्माण कार्य के चलित बिलों में अनुबन्ध की मद "P/F 100 mm पी0वी0सी0 पाईप इन वीप होल्स" की कार्य मात्रा की जाँच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद "आर0आर0 मैसनरी" के भुगतान के समय वीप होल्स में प्रयोग 100mm पी0वी0सी0 पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी। नियमानुसार आर0आर0 मैसनरी के भुगतान के समय आर0आर0 मैसनरी की देय मात्रा में सें 100mm पी0वी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार आर0आर0 मैसनरी की देय कार्य मात्रा में से 100mm पी0वी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती न करके संविदाकार को कुल ₹32780/– का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम/संकवदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Sr. No.	Voucher No./Dt	Amount	Name of work & MB No.	No. weep whole paid of 100mm dia (Qty in RMT)	Qty of RR Masonary which was paid twice to the Contractor	Rate of RR Masonary per m3	Total Amount
1	132/ 30.03.2013	2221485	C/O PSFS at Sanjauli PH-III 1590/08 13th Running Bill	263.2	22/7x0.05x0.05x263.20=2.07m3	1700	3515.60
2	137/ 30.03.2013	1782402	C/O Self Financing Scheme at Theog, MB No. 1669 P.No. 82,12th Running Bill	2284.6	22/7x0.05x0.05x2284.55=17.95m3	1600	28720.06
3	108/ 29.03.2013	219076	C/O Veterniary Hospital building at Cheog. MB No.1672/10 P.No. 88 2nd Running Bill	25.7	22/7x0.05x0.05x25.7=0.20m3	2700	545.21
							32780.86

14 ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा में से होल्ड फास्ट के लिए बनाए गए कंक्रीट ब्लाक की कार्य मात्रा को कम न करने से संविदाकार को ₹48330/– का अधिक भुगतानः–

निम्नलिखित वाऊचरों द्वारा किए गए भुगतान से सम्बन्धित कार्य बिलों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन बिलों में दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्ट का प्रयोग व भुगतान किया गया था। इन होल्ड फास्ट को ईटों की दीवारों में लगाने के लिए 1:3:6 सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक (साईज 0.30mx0.10mx0.15m) बनाने का प्रावधान होता है तथा होल्ड फास्ट को लगाने के लिए अनुबन्ध में अलग मद का प्रावधान व तदानुसार संविदाकार द्वारा भरी गई दरों से मापन व भुगतान किया जाता है। इन बिलों में भुगतान किए गए ब्रिक वर्क की मद की जाँच करने पर पाया गया कि होल्ड फास्ट को लगाने के लिए दीवारों में बनावाए गए सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाक की मात्रा को ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से कम नहीं किया गया जबकि कार्य सपैसीफिकेशन (ब्रिक वर्क) के अनुसार 0.10 वर्ग मी0 के क्षेत्रफल की ओपनिंग इत्यादि के लिए न तो ब्रिक वर्क में से भुगतान हेतु घटाया जाता है और न ही उस करवाए गए कार्य का अलग से भुगतान किया जाता है। निम्न प्रकरणों में सीमेन्ट कंक्रीट के कार्य की मात्रा को ब्रिक का कार्य मात्रा में से कम नहीं किया गया और होल्ड फास्ट के भुगतान में सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लाक का भुगतान कर दिया गया। अतः होल्ड फास्ट में प्रयोग सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लाक की कार्य मात्रा का दोबारा भुगतान किया गया। एक बार ब्रिक वर्क के भुगतान के समय व दूसरी बार होल्ड फास्ट के भुगतान के समय। इस प्रकार निम्न प्रकरणों में संविदाकार को ₹48330/– की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए जिसका विवरण निम्न दिया गया है।

Sr. No.	Voucher No./Dt	Amount	Name of work & MB No.	No. hold fast paid	Qty of brick work which was paid twice to the contractor in m3	Rate of brick work per m3	Total Amount
1	132/30.03.13	2221485	C/O PSFS at Sanjauli PH-III 1590/08 P.No. 40, 13th Running Bill	3078	0.30x0.15x0.10x3078=13.851m3	3300	45708.30
2	125.30.03.13	1023189	C/O Mashroom unit at dutt Nagar Rampur, 2nd Running Bill MB No. 1726/12 P.No. 11	94	0.30x0.15x0.10x94=0.423m3	6200	2622.60
							48330.90

अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों की जाँच निर्माण मण्डल अपने स्तर पर करने के उपरान्त उचित कार्यवाही करें। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

15 नियमों की अवहेलना करके अधिक Secured Advance भुगतान करने के कारण संविदाकारों को ₹964934/– का अनुचित लाभः–

CPWD works Manual 2003 के नियम 31-3-2 के अनुसार "The Divisional Officers can sanction the Secured Advance up to an amount not exceeding 75% of the value of the materials as assessed by the Engineer-in-charge or an amount not exceeding 75% of the material element cost in the tendered rate of the finished item of work, whichever is lower". इस नियम के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार को 75% ऑफ कोस्ट ऑफ मैटीरियल का या संविदाकार/ठेकेदार द्वारा फिनिश्ड आईटम के भरे गए रेट में से मैटीरियल एलीमैनट का 75% (फिनिश्ड आइटम के भरे गए रेट में 75% मैटीरियल एलीमैनट और 25% लेबर एलीमैनट होता है) में से जो भी सबसे कम हो उसे Secured Advance के रूप मे प्रदान किया जा सकता है। संविदाकार/ठेकेदार को वर्ष 2012–13 के दौरान प्रदान किए गए Secured Advance की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा उपरोक्त नियम की अनदेखी करके ₹964934/– की राशि का अधिक Secured Advance प्रदान किया गया। इस समस्त राशि का पूर्ण ब्यौरा साथ संलग्न सारणी में विस्तार से दिया गया है। अतः नियमों के विपरीत संविदाकारों/ठेकेदारों अधिक Secured Advance प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) नियमों के विपरीत DNIT में दर्शाई गई मात्रा से अधिक मात्रा के लिए Secured Advance संविदाकार/ठेकेदार को प्रदान कर अनुचित लाभ बारेः–

निर्माण कार्य का नामः–	C/O Mashroom Unit at Dutt Nagar
संविदाकार का नामः–	Sh. Gain Singh
अनुबन्ध संख्याः–	20 of 2012-13
चलित बिलः–	2nd Running Bill
Abstract of Cost MB:-	Page No. 15 to 17 of 1726/12

उपरोक्त निर्माण बिल की जाँच में पाया गया कि संविदाकार/ठेकेदार को Secured Advance देते समय नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुये DNIT में दर्शाई गई मात्रा से लगभग सात गुना अधिक मात्रा और सामान लाने के लिए संविदाकार/ठेकेदार द्वारा भुगतान किया गया भाड़ा की राशि को भी Secured Advance की गणना में शामिल करते हुये

संविदाकार/ठेकेदार को कुल ₹206135/– (180770+25365) का अनुचित लाभ देते हुये Secured Advance का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

अनुबन्ध की मद संख्या 62 "Steel work in welded in built up sections" के अन्तर्गत कुल निष्पादित की जानी मात्रा		11.90 Qtl
Secured Advance हेतु संविदाकार/ठेकेदार द्वारा लाई गई मात्रा जो की MB No. 1726/12 पृष्ठ 15 से 17 पर लेखाकिंत की गई थी		
MS प्लेट 2.17 mt @42300	91791	
MS प्लेट 0.585MT @ 45000	26325	
MS एंगल 4.06 MT @40000	162400	
कुल मात्रा 7.55 MT or 75.50 Qtl	280516	
Vat @20%	5610	
	286126	
Secured Advance granted @75% of 286126=214595		
नियमानुसार Secured Advance की देय राशि 21495/75.50x11.90=33824		
अधिक भुगतान की गई Secured Advance की राशि (214595–33824=180770)		180770
कुल सामान को लाने हेतु संविदाकार/ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए किराया= (15800+18020)=33820 Secured Advance की राशि (75% of 33820)		25365
कुल Secured Advance की राशि		206135

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नियमानुसार DNIT में दर्शाई मात्रा 11.90 Qtl हेतु ही केवल Secured Advance दिया जा सकता था, जबकि अग्रधन 75.5 क्विंटल हेतु प्रदान कर दिया गया। अतः नियमों के विपरीत अधिक Secured Advance प्रदान करके संविदाकार/ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाकर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमों की पूर्ण अनुपालना करते हुये ही अग्रधन का प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि हिमुडा निर्माण मण्डल राशि का दुरूपयोग न हो सके।

			Detail of Excess secured advance granted									
Name of work	**Running Bill No. MB No. P.No.**	**Item of Agreement against which advance was granted**	**Item No.**	**Rate quoted by the contrac t or**	**Material compernan t of the item on the basis of which the advance was to be given as per Rules**	**75% of material the compone nt**	**Bill amount of the item on the basis pf which the advance was calculat ed**	**75% of Bill amount on which secured advance was given**	**Qty against which secured advance was granted**	**Total secured advance granted**	**Total secured advance due as per Rule 31.5.2 of CPWD works Manual 2003**	**Excess secured advance granted beyond Rules**
C/O SFS at Theog	12th running bill MB No. 1671 P.No.	P/L in trenched GI tube fittings	1 of Annexure "B"									
		80 mm nominal bore		425	318.75	239	335	251.25	42.49	10675.61	10157.77	517.85
		65 mm nominal bore		280	210	157.50	265	198.75	200	39750	31500	8250
		50 mm nominal bore		240	180	135	200	150	121.35	18202.50	16382.25	1820.25
		32 mm nominal bore		140	105	78.75	115	86.25	127.45	10992.56	10036.69	955.88
			Total							**79620.68**	**68076.70**	
C/O SFS at Theog	12th running bill MB No. 1671 P.No.	P/L in trenchef CI pipe LA	10 of Annexure "B"									
		100 mm nominal dia		1000	750	562.50	858.85	644.14	515.20	331859.64	289800	42059.64
		150 mm nominal dia		1200	900	675	1029.13	771.85	313.60	242051.38	211680	30371.38
			Total							**573911.02**	**501480**	
C/O dwelling units for Urban Poor under	MB No. 1680 P.No.32	Steel work welded in buitup section	34 of Annexure "A"	6000	4500	3375			209.84	944294	708210	236084
		P/F GI pipe 15mm	1 of Annexure	130	97.50	73.13			1210	117370	88481.25	28888.75

			“B”									
		P/F Finlox pipe Dia 75 mm	8 of Annexure “B”	140	105	78.15			610	64050	48037.50	16012.50
		Dia 110mm	8 of Annexure “B”	160	120	90			610	73200	54900	18300
										1198914	899628.75	
C/O dwelling units for Urban Poor under JNNURM	13th MB No. 1680 P.No. 71	P/F GI pipe 15mm	1 of Annexure “B”	130	97.50	73.125			300	29100	21937.50	7162.50
		P/L GI pipe 80mm	2nd of Annexure “B”	600	450	337.5			168	70560	56700	13860
		P/L GI pipe 65mm	2 (ii) of Annexure “B”	500	375	281.25			78	27300	21937.50	5362.50
		P/L GI pipe 50mm	2 (iii) of Annexure “B”	400	300	225			402	112560	90450	22110
		P/L GI pipe 40mm	2 (iv) pf Annexure “B”	300	225	168.75			108	22680	18225	4455
		P/L GI pipe 25mm	2 (v) pf Annexure “B”	200	150	112.5			132	18480	14850	3630
			Total							**280680**	**224100**	

C/O Mashroom unit at Dutt Nagar Rampur	2nd Running Bill MB No. 1726/12 P.No. 15 to 17	P/F MS BP Sheet	61 of Annexure "A"	450	337.50	253.13			56	40286	14175	26111
		Grand Total										**964933.93**
C/O dwelling units for Urban Poor under JNNURM	11th MB No. 1680 P.No. 48	Steel work welded in buitup section	34 of Annexure "A"	6000	4500	3375			108.04	486180	364635	121545
		Prov. CGI Sheet Roofing	31 of Annexure "A"	700	525	393.75			810	405000	318937.50	86062.50
		Indian type WC	14 of Annexure "A"	1100	825	618.75			100	82500	61875	20625
		P/F Flush Door Shutters	20 of Annexure "A"	1500	1125	843.75			464.52	522585	391938.75	130646.25
										1496265	**1137386.25**	
C/O dwelling units for Urban Poor under JNNURM	12th MB No. 1676 P.No. 81	P/F Flush Door Shutters	20 of Annexure "A"	1500	1125	843.75			498.15	560418	420314.06	140103.94
		Total								**560418**	**420314.06**	

16 मै0 हिम इंजीनियर एंड कंसल्टेंट को ₹1500000/– का अनियमित अग्रिम भुगतानः'–

निर्माण कार्य का नामः– C/O Dwelling Units for Urban Poor under JNNURM
संविदाकार का नामः– M/SHIM Engineer and Consultant.
अनुबन्ध संख्याः– 18 of 2009-10
Abstract of cost MB Page No. 59 to 60 of 1676/10
Voucher No. 32 of 06.09.2012

CPWD works Manual 2003 के नियम 31.1 (i)(ii) के अनुसार "Advance Payments to Contractors against on account bills received in the Divisional Office may be made by Divisional Officers. When as on account bill has been received in the Divisional Office and there is likely to be delay in authorizing payment for special reasons which should be recorded, a Divisional Officer may at his discretion, on receipt of an application from the Contractor for financial aid in the shap of part payment, in respect of tenders accepted by AE/AEE and himself, (and after obtaining necessary sanction from the Superintending Engineer for cases against contractors beyond his power of acceptance) make a lump-sum advance payment on Hand receipt, from 28 subject to the following conditions:-

1 The bills in respect of which the advance is proposed to be made should actually be under check in the Divisional Office.

2 The amount of advance should not exceed 75% of the net amount of the bill under check but no advance payment will be admissible in cases where the amount of advance payable works out to less than 10000/-

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार/ठेकेदार को दिनांक 06.02.2012 को Hand Receipt बनाकर ₹1500000/– की राशि का अग्रिम भुगतान, यह प्रमाण पत्र देकर कर दिया गया कि संविदाकार/ठेकेदार का चलित बिल उप–मण्डल स्तर पर लम्बित है तथा संविदाकार/ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य ₹1500000/– की राशि से कम नहीं है जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार Hand receipt द्वारा भुगतान तभी किया जा सकता था यदि संविदाकार/ठेकेदार उपरोक्त दो शर्तों को पूरा करता हो परन्तु संविदाकार/ठेकेदार उपरोक्त कोई भी शर्त पूरी करता था क्योंकि उसका कोई भी बिल निर्माण मण्डल स्तर पर जाँच हेतु लम्बित नहीं था। इसके अतिरिक्त जिस निर्माण बिल से इस राशि की कटौती की गई अर्थात VIIवां चलित बिल जिसका दिनांक 05.09.2012 को माप पस्तिका संख्या 1680/10 पृष्ठ संख्या 34 से 48 पर इन्द्राज किया गया था। इस चलित बिल की जाँच करने पर पाया गया कि यह निर्माण बिल कुल केवल ₹2324065/– की राशि

का था जिसमें से संविदाकार/ठेकेदार को जारी किए गए सीमेन्ट, सरिये व आयकर, बिक्रीकर इत्यादि की कटौती करने के उपरान्त संविदाकार/ठेकेदार को कुल देय ₹1093222/– की राशि शेष बची थी। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुये संविदाकार/ठेकेदार को अनुचित लाभ देते हुये ₹1500000/– की राशि का अग्रिम प्रदान किया गया। अतः इस अग्रिम भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि पर हुये ब्याज की हानि की गणना प्रचलित दर से करते हुये उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। अतः यह सुझाव दिया जाता है की भविष्य में उपरोक्त नियम के अनुसार ही Hand Receipt पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

17. कार्य आबटन पत्र की शर्त की अनुपालना न करते हुये ठेकेदारों को भुगतान किया जानाः–

प्रत्येक कार्य आबटन पत्र में ठेकेदार पर यह शर्त लगाई गई है कि उसे स्थानीय आयुक्त भविष्य निधि के पास अपना तथा अपने कर्मचारियों का अंशदान जमा करवाना होगा तथा ठेकेदार को सभी भुगतान तभी किये जायेगें जब वह इस सन्दर्भ में स्थानीय आयुक्त, भविष्य निधि के पास जमा करवाई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करेंगें।

अभिलेख की जाँच मे ंपाया गया कि किसी भी ठेकेदार बिल के साथ उपरोक्त वर्णित रसीद साथ संलग्न नहीं थी जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि आबटन पत्र की शर्त की अनुपालना न करने पर भी ठेकेदारों को अनुचित लाभ देते हुए भुगतान किया गया है। जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा इस चूक हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर तथा पूर्व में किये गये भुगतानों से सम्बन्धित रसीद साथ संलग्न कर आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक भुगतान से पूर्व नियमानुसार रसीद प्राप्त करके ही भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18. कनिष्ठ अभियन्ता समायोजन वाऊचर संख्या 9 माह 3/2013 ₹64671/– की जाँच में पाया गया कि इस वाऊचर के अन्तर्गत उप–वाऊचर संख्या 2 दिनाँक 6.3.2013 व उप–वाऊचर संख्या 5 दिनाँक 29.3.2013 कुल राशि क्रमशः ₹23250 व ₹21000/– का समायोजन किया गया। इन उप–वाउचरों के अन्तर्गत मस्ट्रोल संख्या 44 अवधि 26.1.2013 से 25.2.2013 तथा मस्ट्रोल संख्या 48 अवधि 26.2.2013 से 25.3.2013 के अन्तर्गत नियुक्त मजदूरों को किये गये भुगतान का समायोजन किया गया यह दोनों मस्ट्रोल 11 नं0 स्टॉफ क्वाटर, हाउसिंग कलौनी संजौली, के रख रखाव हेतु नियुक्त, 4 नं0 मजदूर तथा 1 नं0 मजदूर एवं चौकीदार की नियुक्ति हेतु जारी किये गये थे जाँच में पाया गया कि इन नियुक्त मजदूरो ंमें से दो मजदूर

श्रीमती पनासरा देवी तथा श्री हरी सिंह द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत मण्डल शिमला तथा अधिक्षण अभियन्ता (दक्षिण) के कार्यालय में कार्य किया गया तथा इस सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दिया गया उपस्थिति प्रमाण पत्र भी मस्ट्रोल के साथ संलग्न किया गया है। जिस कार्य हेतु मस्ट्रोल राशि किया गया, उस कार्य पर काम न लेकर अन्य स्थान पर कार्य करवाने का कारण तथा किये गये व्यय को जहाँ कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया उस कार्य हेतु बुक न कर 11 नं0 स्टॉफ क्वाटर हाऊसिंग कलौनी संजौली के रख–रखाव हेतु व्यय बुक करने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर किये गये व्यय को नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19. संविदाकार/ठेकेदार की Security ₹1941521/– की कालातीत हो चुकी राशि को जब्त न किया जाने के कारण निर्माण मण्डल को हानिः–

CPWD works Manual 2003 के नियम 21.7 (i)(ii) के अनुसार "The claim for refund of security deposit is governed by the Limitation Act. The period of limitation is 3 years commencing from the date the roght to due accures. In the case of security deposit paid along with the individual contract, the right to due would accrue under Clause 17 after the maintenance period or payment of final bill whichever is later."

उपरोक्त नियम के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security को उसकी देय तिथि, एवं Clause 17 के अन्तर्गत रख रख रखाव हेतु निर्धारित अवधि या अन्तिम बिल की भुगतान की तिथि जो भी बाद में हो के बाद क्लेम कर सकता है परन्तु इस अवधि की समाप्ति के उपरान्त यदि कोई संविदाकार/ठेकेदार अपनी जमा Security को क्लेम नहीं करता तो वह Security कालातीत मानी जायेगी, और नियमानुसार ऐसी सभी कालातीत Security की राशि को निर्माण मण्डल द्वारा जब्त करके अपनी विविध आय (Miscellaneous Income) शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जायेगा। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि निर्माण मण्डल के पास ₹1941521/– की राशि जिसका विवरण परिशिष्ट "छ" पर दिया गया है दिनांक 31.03.2013 तक संविदाकार/ठेकेदार की Security की ऐंसी राशि थी जिनके निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है और संविदाकार/ठेकेदार को उनका भुगतान नहीं किया गया था या ऐसा security की राशि थी जो दिनांक 31.03.2013 तक भुगतान नहीं की गई थी, और उनके निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी निर्माण मण्डल के पास उपलब्ध नहीं थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09/2013 दिनांक 6.12.2013 द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के बारे और Security की राशि का भुगतान होने बारे सूचना माँगी गई थी और इसके प्रति उत्तर में निर्माण मण्डल द्वारा पत्र संख्या 1695 दिनांक 20.12.2013 कोई सन्तोषजनक सूचना प्रदान नहीं की गई। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है और साथ ही यह परामर्श दिया जाता है की इस मामले में पूर्ण छानबीन करने

के उपरान्त कालातीत हो चुकी संविदाकार/ठेकेदार की Security की राशि को उपरोक्त नियम के अनुसार जब्त किया जाए और निर्माण मण्डल की विविध आय शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाए अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

20 मकान किराए भत्ते ₹32322/– का अनियमित भुगतानः–

नियमानुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी दोनों लोग सरकारी कर्मचारी हो और एक ही मकान में रहते हो तो मकान किराए भत्ते का मासिक भुगतान किसी एक कर्मचारी को किया जायेगा। साथ ही मकान किराए भत्ते का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व पति एवं पत्नी का संयुक्त घोषणा पत्र जो कि उनके विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित हो प्राप्त किया जाना अपेक्षित है परन्तु निर्माण मण्डल के वेतन बिलों की पड़ताल में पाया गया कि निम्न कर्मचारियों के मामले में इस नियम का पूर्णतया पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार अपेक्षित घोषणा पत्र प्राप्त किए बिना ही वर्ष 2012–13 के दौरान इस कर्मचारियो ंको ₹32322/– की राशि का मकान किराए भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम का पूर्णतया पालन करते हुये मकान किराए भत्ते का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए और आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

निर्माण मण्डल–1 के कर्मचारी का नाम व पद	**निर्माण मण्डल–1 के कर्मचारी के पति/पत्नी का नाम**	**विभाग का नाम जिसमें पति/पत्नी कार्यरत्त है**	**मकान किराए भत्ते की राशि**
श्री राजेन्द्र कुमार, Sr. Asstt	श्रीमती परवीन शर्मा	HPPWD	10722
श्रीमती निर्मला, Sr. Asstt	श्री मोहन लाल	Excise Deptt. IGMC	14400
श्री किशोरी लाल, माली	श्रीमती कांता देवी		7200
कुल योग			**32322**

21 अनुबन्ध के क्लास 2(सी) के अन्तर्गत कार्यवाही न करने के कारण संविदाकार को ₹51404/– का अनुचित लाभः–

कार्य आंबटन पत्र संख्या हिमुडा/अ–2 (830)/2009–7109–16 दिनाँक 29.3.2010 के अन्तर्गत सोशल हाऊसिंग कलौनी रोहड़ में टूटे रास्ते की विशेष मुरम्मत व गेट बनाने का कार्य श्री विनोद कुमार ठेकेदार को ₹514041.57 हेतु आंबटित किया गया जिसमें कार्य पूर्ण करने हेतु 2 माह का समय दिया गया जो आंबटन पत्र जारी करने की तिथि के 15 दिन बाद शुरू होगा अर्थात कार्य शुरू करने की निर्धारित तिथि 14.4.2010 तथा पूर्ण करने की तिथि 13.6.2010 थी तथा इस कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध संख्या 37 वर्ष 2009–10 द्वारा ठेकेदार के साथ अनुबन्ध किया गया। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ठेकेदार को उसके प्रथम चलित

बिल माप पुस्तिका संख्या 1481/2006 पृष्ठ 98 के तहत ₹450957/– का भुगतान दिनाँक 15.7.2010 को किया गया इसके पश्चात कोई भुगतान नहीं किया गया, कार्य से सम्बन्धित नस्ति की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य न करने के कारण ठेकेदार के विरूद्ध क्लाज–2 के अन्तर्गत अधिक्षण अभियन्ता (दक्षिण) ई0दिनेश कुमार कश्यप द्वारा दिनांक 7.6.2012 को सुनवाई की गई तथा ठेकेदार को दिनांक 7.7.2012 तक कार्य पूर्ण करने का समय दिया अन्यथा अधिशासी अभियन्ता को ठेकेदार के कार्य पूर्ण न करने पर अनुबन्ध की Clause-2 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दिये/तदानुसार विभाग द्वारा ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु स्टोर ईण्डैंट संख्या 4338 के अन्तर्गत दिनाँक 19.6.2012 को कार्य पूर्ण करने के लिए 80 बोरी सीमेन्ट ₹17482/– के भी जारी किए गये। ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु समय व सीमेन्ट दिये जाने पर भी कोई कार्य नही किया गया और न ही अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध क्लाज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि दिनाँक 7.6.2012 के अधिक्षण अभियन्ता (दक्षिण) के आदेशों की अनुपालना में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में अधिशासी अभियन्ता से क्लाज–2 के अन्तर्गत अनुबन्ध की कुल राशि ₹514041/– का 10**%** राशि ₹51404/– का दण्ड ठेकेदार के विरूद्ध लगाए जाना अपेक्षित था परन्तु ठेकेदार को अनुचित लाभ देते हुये कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। इस विभाग को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनाँक 9.12.2013 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता के साथ उठाया गया जिसके उत्तर में पत्र संख्या 1684 दिनाँक 18.12.13 द्वारा सूचित किया गया कि ठेकेदार द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः उसके विरूद्ध क्लाज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। अधिक्षण अभियन्ता के आदेशों की अनुपालना न करने तथा कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार को अनुचित लाभ देते हुये दण्डित न करने का कारण स्पष्ट किया जाये। यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब ठेकेदार के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये क्योंकि ठेकेदार को ईन्डैन्ट संख्या 4338 द्वारा जो 80 बोरी सीमेन्ट जारी किये गये है वह 1 वर्ष बीत जाने पर खराब हो चुके होगे। अतः ठेकेदार के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाकर व हुये नुकसान की भरपाई करते हुये की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

22 अन्यः–

रख–रखाव प्रभार की वसूली बारेः–

(1) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मण्डल द्वारा विभिन्न कलौनियों के रख–रखाव प्रभार की माँग अग्रिम न कर वर्ष बीत जाने के बाद की जाती है उदाहरण के रूप में आवास कलौनी रोहड़ू में वर्ष 1.4.2012 से 31.3.2013 तक के रख–रखाव प्रभार की माँग बिल संख्या 451 से 488 द्वारा दिनाँक 4.4.2013 को की गई जबकि नियमानुसार यह माँग वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अर्थात 1.4.2012 से पूर्व जारी की जानी अपेक्षित थी। अतः जिन आदेशों के अन्तर्गत

रख–रखाव प्रभार की माँग वर्ष के समाप्त होने उपरान्त की जाती है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस चूक हेतु जिम्मेवारी निर्धारित कर तथा 1 वर्ष बाद माँग उठाने के कारण प्राधिकरण को राशि पर अर्जित होने वाले ब्याज के रूप में हुई हानि पर जिम्मेवारी निर्धारित करते हुये अविलम्ब नियमानुसार वान्छित कार्यवाही की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

(2) जाँच में पाया गया कि रख–रखाव प्रभारों की वसूली के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जो अभिलेख तैयार किया जाता है उसमें कहीं रख–रखाव प्रभार की माँग किस बिल के अन्तर्गत व किस दिन की गई उसका पूर्ण उल्लेख नहीं किया जाता है जिसका कारण स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में पूर्ण व स्पष्ट अभिलेख का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

23 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया। अतः अलग से लघु आपत्ति विवरणिका जारी नहीं की गई है।

24 **निष्कर्ष :–** निर्माण मण्डल के लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)123/88–खण्ड–15–2014–16, दिनांक 29.03.2014, शिमला–171009,

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
2. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला–171002.

पंजिकृत 3 अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–1 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिशचित करें।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट ''क''　　　　　　　　　　　　　　　पैरा सं0 1 (ग) में सन्दर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–1, शिमला–171009 के लेखों अवधि 4/2012 से 3/2013 तक का अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन

(ए) अनिर्णीत पैरों का अंकेक्षण प्रतिवेदन का विवरणः–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996

1. पैरा 23 अनिर्णीत ।
2. पैरा 28 अनिर्णीत ।
3. पैरा 43 अनिर्णीत ।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997

1. पैरा 12 (च) अनिर्णीत ।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

1. पैरा 50 अनिर्णीत ।
2. पैरा 51 (क) अनिर्णीत ।
3. पैरा 51 (ख) अनिर्णीत ।

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1. पैरा 9 अनिर्णीत ।
2. पैरा 11 अनिर्णीत ।
3. पैरा 30 अनिर्णीत ।
4. पैरा 31 अनिर्णीत ।

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1. पैरा 13(1) अनिर्णीत ।
2. पैरा 13(2) अनिर्णीत ।
3. पैरा 14(1) अनिर्णीत ।
4. पैरा 14(2) अनिर्णीत ।
5. पैरा 33 अनिर्णीत ।

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1.	पैरा 9	निर्णीत ।	(दिये गये उत्तर अनुसार)
2.	पैरा 10	अनिर्णीत ।	

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 21	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 23(क)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत ।

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1.	पैरा 9(क)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 10(क)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 26	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 30	अनिर्णीत ।

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1.	पैरा 9(3)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 12(2)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 14	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 18	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 19	अनिर्णीत ।

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 03/2007

1.	पैरा 10(क)	अनिर्णीत ।	
2.	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत ।	
3.	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत ।	
4.	पैरा 12	अनिर्णीत ।	
5.	पैरा 18	अनिर्णीत ।	
6.	पैरा 15		15 (क) के अतिरिक्त शेष भाग अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1.	पैरा 10(क)	निर्णीत ।	(पैरे में वर्णित राशि ठेकेदार के 15 बिल से माप पुस्तिका संख्या 1508/7 पृष्ठ 96 पर कर ली गई है)
2.	पैरा 10(ख)	निर्णीत ।	(–यथोपरि–)
3.	पैरा 12	अनिर्णीत ।	
4.	पैरा 13(क)	अनिर्णीत ।	
5.	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत ।	
6.	पैरा 15	निर्णीत ।	(सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त)
7.	पैरा 16	अनिर्णीत ।	
8.	पैरा 17	अनिर्णीत।	
9.	पैरा 18	अनिर्णीत।	
10.	पैरा 19	अनिर्णीत।	

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1.	पैरा 12	आंशिक निर्णीत।	(12 (क) से (च) तक का निपटारा कर दिया गया है)
2.	पैरा 13 (क, ख ,घ व च)	अनिर्णीत।	
3.	पैरा 14	अनिर्णीत।	
4.	पैरा 15	अनिर्णीत।	
5.	पैरा 16	अनिर्णीत।	
6.	पैरा 17	अनिर्णीत।	
7.	पैरा 19	अनिर्णीत।	
8.	पैरा 21	अनिर्णीत।	
9.	पैरा 22	अनिर्णीत।	
10.	पैरा 24	अनिर्णीत।	
11.	पैरा 25	अनिर्णीत।	

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 12	निर्णीत।
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 18	अनिर्णीत
7	पैरा 19	अनिर्णीत
8	पैरा 20	अनिर्णीत
9	पैरा 23	अनिर्णीत
10	पैरा 24	अनिर्णीत
11	पैरा 25	अनिर्णीत
12	पैरा 28	अनिर्णीत
13	पैरा 29	अनिर्णीत
14	पैरा 31	अनिर्णीत

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011 तक

1	पैरा 5 (2)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
2	पैरा 6	अनिर्णीत	
3	पैरा 6 (1)	अनिर्णीत	
4	पैरा 7	अनिर्णीत	
5	पैरा 8	अनिर्णीत	
6	पैरा 10	अनिर्णीत	
7	पैरा 10 (5)	अनिर्णीत	
8	पैरा 13	अनिर्णीत	
9	पैरा 16	अनिर्णीत	
10	पैरा 18	अनिर्णीत	
11	पैरा 19	अनिर्णीत	

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012 तक

1	पैरा 4 (क) (1)	निर्णीत	(स्टाफ अग्रिम की राशि ₹214392 को समायोजन के सन्दर्भ में पैरे को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया

			गया।)
	पैरा 4 (क)(ii)	अनिर्णीत	(गत अनेक वर्षों से स्थानान्तरित स्टाफ से राशि ₹44061/— की वसूली न किया जाना)
2	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत	(विविध अग्रिम राशियों के समायोजन के सन्दर्भ में)
3	पैरा 4 (ग) (1)	निर्णीत	(जल प्रभार की वसूली के सन्दर्भ में पैरे को वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा 4 (ग) (2)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4 (घ) (1)	निर्णीत	(रख—रखाव प्रभार की वसूली के सन्दर्भ में पैरे की पुनः प्रारूपित किया गया)
6	पैरा 4 (घ)(ii)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4 (ङ) (1)	निर्णीत	(की गई कार्यवाही अनुसार)
8	पैरा 4 (ङ) (2)	अनिर्णीत	
9	पैरा 5 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5 (ख)	निर्णीत	(₹10.97 लाख की भण्डार मदों को विगम कई वर्षों से प्रयोग में न लाना पैरे को वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित किया गया)
11	पैरा 6	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
12	पैरा 7	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
13	पैरा 8	अंशतः निर्णीत	(मद संख्या 3 से 8 तक सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है)
14	पैरा 9	अनिर्णीत	
15	पैरा 10 (क)	निर्णीत	(की गई कार्यवाही व दिये गये उत्तर अनुसार)
16	पैरा 10 (ख)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
17	पैरा 11 (क)	निर्णीत	(राशि ₹924 ठेकेदार के तीसरे व अन्तिम बिल, माप पुस्तिका संख्या 01717 पृष्ठ 78 पर कर ली गई)(दिये गये उत्तर अनुसार)
18	पैरा 11 (ख)	निर्णीत	

19	पैरा 11 (ग)	निर्णीत	(राशि ₹14892/– ठेकेदार से माप पुस्तिका संख्या 1736 पृष्ठ 29 पर कर ली गई)
20	पैरा 11 (घ)	अनिर्णीत	
21	पैरा 11 (ङ)	निर्णीत	(माप पुस्तिका संख्या 1680 पृष्ठ 31 पर ईन्द्राज किया गया)
22	पैरा 11 (च)	निर्णीत	(राशि ₹2422 ठेकेदार से माप पुस्तिका संख्या 1736 पृष्ठ 29 पर कर ली गई)
23	पैरा 12 (क)	अंशतः निर्णीत	(राशि की ठेकेदार से रिकवरी करने हेतु ठेकेदार के अन्तिम बिल में माप पुस्तिका संख्या 169310 पृष्ठ 94 पर ईन्द्राज किया गया है बिल के भुगतान उपरान्त सत्यापन आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाये)
24	पैरा 12 (ख)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
25	पैरा 13 (क)	निर्णीत	(की गई कार्यवाही व दिये गये उत्तर अनुसार)
26	पैरा 14 (क)	अनिर्णीत	
27	पैरा 14 (ख)	अनिर्णीत	
28	पैरा 15	अनिर्णीत	
29	पैरा 16	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
30	पैरा 17	अनिर्णीत	
31	पैरा 18	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
32	पैरा 19	निर्णीत	(सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी कर ली गई है)
33	पैरा 20	अनिर्णीत ।	
34	पैरा 21 (क)	अनिर्णीत ।	
35	पैरा 21 (ख)	अनिर्णीत ।	
36	पैरा 21 (ग)	अनिर्णीत ।	
37	पैरा 21 (घ)	अनिर्णीत ।	

(बी) पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से मण्डल–1 को स्थानान्तरित बकाया पैरों की वर्तमान स्थिति :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1.	पैरा 42	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 46	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 55	अनिर्णीत ।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1992

1.	पैरा 9(ण) 3	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 9(ण) 4	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 9(त) (1)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 9(त) (2)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 9(त) (4)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 9(त) (7)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 9(त) (8)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 9(थ)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 9(ध)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 11	अनिर्णीत ।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1.	पैरा 11	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 13	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 24	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 25	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 26	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 27	अनिर्णीत ।

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

1.	पैरा 11(वी)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत ।

3.	पैरा 11(डी)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 11(एफ)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 11(जी)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 11(एच)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 11(आई)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 11(जे)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 11(के)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 11(एल)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 11(एम)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 11(एन)	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 11(ओ)	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 11(पी)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 11(क्यू)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 12	अनिर्णीत ।
17.	पैरा 14	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 20(ए0सी0के0)	अनिर्णीत ।
19.	पैरा 21	अनिर्णीत ।
20.	पैरा 22	अनिर्णीत ।
21	पैरा 31(ए)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 31(बी)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 32	अनिर्णीत ।
24	पैरा 33	अनिर्णीत ।

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

1.	पैरा 5(6)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 5(18)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 5(19)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 6(3)(1)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 6(3)(4)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 6(5)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 6(16)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 6(18)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 6(19)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 6(20)	अनिर्णीत ।

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96 तक

1.	पैरा 34	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 37	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 38	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 39	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 40	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 41	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 42	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 43	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 44	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 46	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 47	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 48	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 49	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 50	अनिर्णीत ।

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1.	पैरा 13(ड)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 30(क)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 30(ख)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 30(ग)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 30(घ)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 30(ङ)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 30(च)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 31(ग)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 31(घ)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 31(ङ)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 31(छ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 31(ज)	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 32	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 33(क)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 33(ख)	अनिर्णीत ।

16.	पैरा 35(ख)	अनिर्णीत ।
17	पैरा 35(ग)	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 35(घ)	अनिर्णीत ।
19	पैरा 37	अनिर्णीत ।
20	पैरा 39(ख)	अनिर्णीत ।
21.	पैरा 40(क)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 40(ख)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 45(क)	अनिर्णीत ।
24.	पैरा 48	अनिर्णीत ।
25.	पैरा 50	अनिर्णीत ।
26.	पैरा 54(च)	अनिर्णीत ।
27.	पैरा 64(ग)	अनिर्णीत ।
28.	पैरा 65	अनिर्णीत ।

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1.	पैरा 14 (मण्डल 1 व 2)	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 15(घ)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 15(ङ)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 15(छ)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 15(छ)(1)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 15(ज)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 15(झ)	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 15(फ)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 15(ब)	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 15(भ)	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 15(म)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 15(त)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 15(थ)(1)	अनिर्णीत ।
17	पैरा 15(थ)(2)	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 15(थ)(3)	अनिर्णीत ।

19	पैरा 21(1)	अनिर्णीत ।
20	पैरा 21(2)(1)	अनिर्णीत ।
21.	पैरा 21(2)(क)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 21(3)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 21(13)(क)	अनिर्णीत ।
24.	पैरा 22(1)(क)	अनिर्णीत ।
25.	पैरा 22(1)(ख)	अनिर्णीत ।
26.	पैरा 22(7)(घ)	अनिर्णीत ।
27.	पैरा 22(7)(च)	अनिर्णीत ।
28.	पैरा 22(8)(ग)	अनिर्णीत ।
29.	पैरा 22(10)(ग)	अनिर्णीत ।
30.	पैरा 22(10)(घ)	अनिर्णीत ।
31.	पैरा 22(16)	अनिर्णीत ।
32.	पैरा 22(17)	अनिर्णीत ।
33.	पैरा 22(19)	अनिर्णीत ।
34.	पैरा 22(20)	अनिर्णीत ।
35.	पैरा 22(22)	अनिर्णीत ।
36.	पैरा 26(क)	अनिर्णीत ।

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

1.	पैरा 18	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 25	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 26	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 32	अनिर्णीत ।
5	पैरा 33	अनिर्णीत ।
6	पैरा 34	अनिर्णीत ।
7	पैरा 35	अनिर्णीत ।
8	पैरा 36	अनिर्णीत ।
9	पैरा 37	अनिर्णीत ।
10	पैरा 41	अनिर्णीत ।
11	पैरा 46	अनिर्णीत ।
12	पैरा 61	अनिर्णीत ।
13	पैरा 71	अनिर्णीत ।
14	पैरा 78	अनिर्णीत ।

15	पैरा 79	अनिर्णीत ।
16	पैरा 80	अनिर्णीत ।

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 15.1.2001 तक

1.	पैरा 21	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 22(क)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 26(6)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 31	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 32(क)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 35	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 36	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 37	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 38	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 41	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 42	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 46	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 47	अनिर्णीत ।